तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण संख्या :– 34/2024

अरविंद सिंह बनाम अनिता कंवर वगै0

प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

15.07.24

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राजेश कुमार मीणा उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम फतेहसरा पटवार हल्का बीबासर तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 53 खसरा नं. 106 रकबा 0.77 है0, खसरा नं. 107 रकबा 0.06 है0 तथा खसरा नं. 108 रकबा 1.29 है0 तथा इसी ग्राम फतेहसरा पटवार हल्का बीबासर तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 6 खसरा नं. 1 रकबा 1.18 है0, खसरा नं. 2 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 3 रकबा 0.88 है0, खसरा नं. 4 रकबा 0.87 है0, खसरा नं. 6 रकबा 0.04 तथा खसरा नं. 7 रकबा 0.07 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम भवानीसिंह पुत्र जतन सिंह दर्ज है जबकि आवेदक के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका में आवेदक का नाम अरविंद सिंह पुत्र जतन सिंह है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नाम दुरूस्ती बाबत तहसीलदार झुंझुनूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू. अ. /24/999 दिनांक 06.06.2024 को इस न्यायालय में पेश की जिसमें मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार भवानी सिंह तथा अरविंद सिंह एक ही व्यक्ति के नाम होना साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा :–

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम फतेहसरा पटवार हल्का बीबासर तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 53 खसरा नं. 106 रकबा 0.77 है0, खसरा नं. 107 रकबा 0.06 है0 तथा खसरा नं. 108 रकबा 1.29 है0 तथा इसी ग्राम फतेहसरा पटवार हल्का बीबासर तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 6 खसरा नं. 1 रकबा 1.18 है0, खसरा नं. 2 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 3 रकबा 0.88 है0, खसरा नं. 4 रकबा 0.87 है0, खसरा नं. 6 रकबा 0.04 तथा खसरा नं. 7 रकबा 0.07 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र जतनसिंह के बजाय अरविंद सिंह पुत्र जतन सिंह दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं